FORM- II

(For projects other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office the District Collector Narayanpur (C.G.)

No./Coll./R-I/2020/283/Narayanpur DATE - 25/06/2020

TO WHOWHOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 66.020 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Shri Bajrang Powar & Ispat Limited,** For **Mining Lease area and Approach Road** in **Naraynpur** district falls within jurisdiction of **Dhanora & Kodoli** villages in **Narayanpur** Tehsil.

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 66.020 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-division Level committee and the District Level Committee are enclosed as annexure – **A to** D

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) Each of the concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversi

(d) on. A copy of certificate issued by the gram sabha of Dhanora & Kodoli villages(s) is enclosed as annexure - B to annexure - C

(e) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram sabha present.

(f) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(g) The rights of primitive Tribal Groups And pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safe guarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl..As above

25/06/2020
(Abhijeet Singh)
Collector
District – Narayanpur
कलेक्टर
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

ग्राम पंचायत धनोरा

(B)

क्रमांक	चर्चा के विषय	बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्ताक्षर
	② श्री बजरंग पावर इस्पात लिमिटेड के पक्ष में लौह अयस्क खनन पट्टा के लिए ग्राम धनोरा के स्वीकृत वन कक्ष क्र. 2180 व 2184 में कुल रकबा 87.00 हेक्टेयर में से प्रस्तुत मार्ग 9.02 हेक्टेयर की डायवर्सन के संबंध में (वन कक्ष क्रमांक 2185 भी शामिल है कुल रकबा 52.020 हेक्टेयर है) सचिव ग्रा.प. धनोरा	आज दिनांक 21/9/2016 को सरपंच श्रीमती सरिता मण्डावी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत भवन धनोरा में समय 11 बजे किया गया। जिसमें सरपंच, पंच वार्डपंच, एवं ग्रामीण उपस्थित थे। जिसमें निम्नलिखित विषय पर चर्चा हुई। ग्राम सभा की बैठक में श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. के पक्ष में ग्राम धनोरा में स्वीकृत वन भूमि 87.00 हेक्टेयर के डायवर्सन हेतु प्राप्त आवेदन को चर्चा एवं अनुमोदन के लिए समक्ष में रखा गया। उक्त क्षेत्र में से वन कक्ष क्रमांक 2180 व 2184 में रकबा 87.00 हेक्टेयर में प्रस्तुत मार्ग 9.02 हेक्टेयर ग्रामपंचायत धनोरा के अंतर्गत आना पाया गया। सभी सदस्यों से विचार विमर्श के उपरान्त पाया गया कि उक्त क्षेत्र के किसी को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान नहीं किया गया है। केवल मैदानी क्षेत्र में ही वनभूमि प्रदाय किया गया है। इसलिए उक्त क्षेत्र को डायवर्सन के कार्य के लिए देने पर कोई आपत्ति नहीं है।	यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया	

सचिव
ग्राम पंचायत-धनोरा
विकास खण्ड-नारायणपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत धनोरा
जनपद पंचायत नारायणपुर

(प्रदर्श-'ख')

(B)

ग्राम पंचायत कोडोली ... छोरछा नारायणपुर

1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमति बिमलाबाई सरपंच	प्रस्ताव क्र. 1 ग्राम पंचायत में श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में लौह अयस्क खनिपट्टा के लिए ग्राम कोडोली में ग्राम सभा में चर्चा।	आज दिनांक ...2016 को ग्राम पंचायत कोडोली में ग्राम सभा बैठक आयोजन किया गया। ग्राम सभा बैठक में उच्च कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला नारायणपुर द्वारा के आदेश क्रमांक 22.40/खनिज/2016/ दिनांक 16/07/2016 के तहत ग्राम पंचायत कोडोली में श्री मुरा राम राजस्व एवं वन स्थाई समिति के सभापति को अध्यक्षता के रूप में मनोनित किया गया। ग्राम सभा बैठक में सर्वांग आमसभा एवं पंचगण व ग्राम नागरिक उपस्थित हुये। ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम कोडोली में श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में लौह अयस्क खनि पट्टा के लिए ग्राम पंचायत कोडोली में वन कक्ष क्रमांक 2179 में कुल रकबा 14.00 हेक्टर आता है, यह भूमि में परिवार को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र वितरण नहीं हुआ है। ग्राम सभा बैठक में श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में लौह अयस्क खनिपट्टा के लिए ग्राम पंचायत कोडोली में 14.00 हेक्टर वन भूमि को उपयोग कार्य के लिए अन्य क्षेत्र को देने के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया है।	प्रस्ताव क्र. 1 यह प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया है।	[illegible]
2	श्री वीर सिंह उपसरपंच			विरला	[signature]
3	" मुरा राम पंच				उकाराम
4	" [illegible] राम पंच				[illegible]
5	" [illegible] बाई पंच				[thumb impression]
6	" [illegible] राम पंच				[thumb impression]
7	" [illegible] बाई				[thumb impression]
8	" मासो राम				[illegible]
9	" मंगल राम				
10	[illegible] राम				
11	[illegible] राम				[illegible]
12	लक्ष्मन				[illegible]
13	मंगलू राम			विरला सरपंच ग्राम पंचायत कोडोली	[illegible] राम
14	[illegible] राम				

सचिव ग्राम पंचायत कोडोली

उप सरपंच ग्राम पंचायत कोडोली जनपद पंचायत-ओरछा जिला-नारायणपुर

(A)

प्रदर्श — ब

ग्राम सभा - धनोरा .... की बैठक दिनांक ....21/09/2016.............. का कार्यवाही विवरण

ग्राम ....धनोरा..........

स्थान .....धनोरा.......

आज दिनांक 21/09/2016 को ग्राम .....धनोरा.......... के सरपंच श्री/श्रीमती सरिता मरकाम...... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा का वन समिति ....धनोरा.....के सदस्य ....80%.......प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :—

1. ग्राम ....धनोरा.......... में आवेदक/एजेंसी श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 52.020 हेक्टे. वनभूमि तथा........0......... हे. राजस्व वनभूमि, कुल 52.020 हेक्टे. ....हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गई।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लौह अयस्क खनन एवं पहुंच मार्ग कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनभूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :—

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकबा (हे.में)
—	धनोरा	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 52.020 हे. वनभूमि तथा 0 .... हे. राजस्व वनभूमि कुल योग 52.020 ....हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक/एजेंसी) श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न :— ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1) [illegible]

2) [illegible]

3) सुधराम

4)

5)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
धनोरा

सरपंच
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत धनोरा
जनपद पंचायत नारायणपुर
नाम.....सरिता मरकाम
सरपंच................
सील..................

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

प्रदर्श -- ब

ग्राम सभा कोडोली की बैठक दिनांक 23.09.2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम कोडोली

स्थान कोडोली

आज दिनांक 23.09.2016 को ग्राम कोडोली के सरपंच श्री/श्रीमती बिमला की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा का वन समिति कोडोली के सदस्य 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम कोडोली में आवेदक/एजेंसी श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. ने (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 14.00 वनभूमि तथा 0 हे. राजस्व वनभूमि, कुल 14.00 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गई।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लौह अयस्क खनन कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनभूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे है एवं कोइ भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकबा (हे.में)
--	कोडोली	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 14.00 हे. वनभूमि तथा 0 हे. राजस्व वनभूमि कुल योग 14.00 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक/एजेंसी) श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न :- ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सूची।

हस्ताक्षर बिमला
नाम बिमला
सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत-कोडोली
सील जनपद पंचायत-ओरछा जिला-बस्तर
हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
कोडोली

प्रदर्श — ब

ग्राम सभा - धनोरा .... की बैठक दिनांक 21/09/2016 .... का कार्यवाही विवरण

ग्राम ......धनोरा......

स्थान ......धनोरा......

आज दिनांक 21/09/2016 को ग्राम ......धनोरा...... के सरपंच श्री/श्रीमती सरिता मरकाम...... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा का वन समिति ......धनोरा...... के सदस्य ......80%...... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम ......धनोरा...... में आवेदक/एजेंसी श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 52.020 हे. वनभूमि तथा ......0...... हे. राजस्व वनभूमि, कुल 52.020 ....हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गई।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।

3. इस वन व्यपर्वतन प्रकरण के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परस्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लौह अयस्क खनन एवं पहुंच मार्ग कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनभूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत बनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकबा (हे.मे)
—	धनोरा	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 52.020 हे. वनभूमि तथा ......0 ....है. राजस्व वनभूमि कुल योग 52.020 ......हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक/एजेंसी) श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न :- ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1) [illegible]

2) [illegible]

3) [illegible]

4)

5)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
धनोरा

सरपंच
ग्राम पंचायत धनोरा
जनपद पंचायत नारायणपुर

हस्ताक्षर ....

नाम सरिता मरकाम

सरपंच............

सील............

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(1) प्रदर्श "रा"

प्रमाण पत्र

मेसर्स **श्री बजरंग पावर एण्ड स्पॉत लिमिटेड** का **लौह अयस्क का खनन** कार्य हेतु नारायणपुर जिला में **नारायणपुर** वनमण्डल के **कोडोली** गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 14.00हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

16. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि 14.00 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 0.00 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम **कोडोली** तहसील **नाराणपुर** में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्रामसभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **23.09.2016 (पदर्श "अ")** एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (**प्रदर्श "ब"**) पर दर्शित है।

17. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **23.09.2016** ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति बिमला की अध्यक्षता मे हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **23.09.2016** रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें **70** प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्द उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर विस्तार के समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदप्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकारी पत्र मान्यता धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1	कोडोली	निरंक	निरंक

18. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

19. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **23.09.2016** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित है।

20. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक ......23.9.2016...... /दिनांक 23.9.2016 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(टामनसिंह सोनवानी) 11.X.2016

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष – जिला वन अधिकार समिति

जिला – नारायणपुर

(सील)

दिनांक

प्रदर्श "स"

प्रमाण पत्र

मसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड स्पॉत लिमिटेड का लौह अयस्क का खनन कार्य हेतु नारायणपुर जिला में नारायणपुर वनमण्डल के धनोरा गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 52.020 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

11. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि 52.020 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 0.00 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम धनोरा तहसील नाराणपुर में स्थित है, मैं तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्रामसभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 21.09.2016 (प्रदर्श "अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

12. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव 21.09.2016 ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति सरिता मरकाम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.09.2016 रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें 80 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर विस्तार के समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में पदप्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकारी पत्र मान्यता धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	धनोरा	निरंक	निरंक

13. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

14. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 21.09.2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित है।

15. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 21.9.2016 /दिनांक 21.9.2016 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(टामनसिंह सोनवानी)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष – जिला वन अधिकार समिति
जिला – नारायणपुर
(सील)

दिनांक